राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील –112–दो/06 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.09.2015	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता कई पेशियों से अनुपस्थित हैं । उनके समय समय पर आवाज लगवाई गई लेकिन उसके बाद भी उपस्थित । प्रकरण में आवेदक को चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर , केम्प, सागर.

A 112 II/06

गंगाराम उर्फ गंगाप्रसाद वल्द खेमचंद कुर्मी,

साकिन- भानगढ़, तहसील बीना जिला सागर (म0प्र0)

--- अपीलार्थी

सद्यवेन्डीचेडानुमोदित 23.1.06

।। बनाम ।।

सुखलाल वल्द रामलाल कुर्मी

साकिन- भानगढ़ तह0 बीना जिला सागर (म0प्र0)

--- प्रति अपीलार्थी

23 Jan 2006

अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) (द) म0 प्र0 भू. राजस्व संहिता .

उपरोक्त नामांकित अपीलकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक- 7/1/2006 जो उन्होंने अपील प्रकरण क्रमांक 713-अ/5 वर्ष 2003- 2004 पक्षकरान सुखलाल विरुद्ध गंगाराम में पारित किया है, उससे दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील इस सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है :-

प्रकरण के तथ्य

(1) यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलकर्ता गंगाप्रसाद उर्फ गंगाराम के भूमि स्वामी स्वत्व की आराजी खसरा नंबर- 659 रकवा 0.947 हेक्टेयर स्थित् ग्राम भानगढ़ तहसील बीना जिला सागर में स्थित् है ।

(2) यहकि, बन्दोबस्त के पश्चात् उक्त खसरा नंबर 659 का नया नम्बर 648, 649, एवं 651 क्रमशः रकवा 0.14, 0.38, 0.34 कुल रकवा 0.86 कर दिया गया, इस तरह बंदोबस्त की कार्यवाही में - अपीलकर्ता गंगाप्रसाद के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि में से 0.08 हेक्टेयर की कमी हो गई, तथा नक्शे में भी बंदोबस्त के दौरान भिन्नता की गई, जिस कारण अपीलकर्ता गंगाप्रसाद ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में

गंगाप्रसाद

क्रमशः... 2..